खुले में शौच गए तो देना पड़ेगा सौ रुपये जुर्माना

स्वच्छता दूत टीम को सौंपी गई जिम्मेदारी

अमर उजाला ब्यूरो

फतेहपुर।

खुले में शौच जाने से पहले सौ रुपये का इंतजाम कर लीजिए। क्योंकि खुले में शौच करते पकड़े जाने पर स्वच्छता दूतों की टीम ने पकड़ लिया तो मौके पर ही आपकी 100 रुपये की पेनाल्टी रसीद काट दी जाएगी। शहर को खुले में शौच मुक्त करवाने के लिए नगर पालिका ने दस सदस्यीय स्वच्छता दूत टीम का गठन किया है।

नगर पालिका क्षेत्र को 31 मार्च 2017 तक खुले में शौच जाने से मुक्त बनाने का लक्ष्य है। इसके लिए नगर पालिका ने 10 सदस्यीय स्वच्छता दूत टीम का गठन किया है। यह मोहल्लेवार घूमेगी और लोगों को खुले में शौच न जाने के प्रति जागरूक करेगी। इसके अलावा अगर कोई खुले में शौच जाता है, तो इसका कारण क्या है। अगर घर में शौचालय नहीं है, तो उससे आवेदन फार्म भरवाएगी और नगर पालिका आवेदन की जांच कर आठ हजार रुपये शौचालय निर्माण के लिए अनुदान देगी। इसके अलावा सामूहिक और सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण शुरू होने वाला है। पूरे शहर में जागरूकता अभियान चलाने के बाद स्वच्छता अभियान पहले चरण में अरबपुर और सादीपुर मोहल्ले से चलाया जाएगा। इसके बाद स्वच्छता दूत टीम भोर पांच बजे से शहर में मोहल्लेवार भ्रमण करना शुरू करेगा। पहली बार खुले में शौच करते पकड़े जाने पर चेतावनी देगी। दोबारा पकड़े जाने पर तत्काल 100 रुपये जुर्माने की रसीद काट देगी। जुर्माना राशि मौके पर ही जमा करना होगा।

इस मुद्दे पर नगर पालिका परिषद की अधिशासी अधिकारी रश्मि भारती ने बताया कि शहर को मार्च तक ओडीएफ बनाने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। दस सदस्यीय स्वच्छता दूत टीम का गठन किया गया है। यह टीम अरबपुर और सादीपुर मोहल्ले से अपना काम शुरू करेगी। उन्होंने अभी से सभी लोगों से खुले में शौच न जाने की अपील की है।